



राजस्थान सरकार

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: <http://the.rajasthan.gov.in/dept/dce/> e-mail: [jdplan.cce@gmail.com](mailto:jdplan.cce@gmail.com) Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 4(312) आयो/आकाशि/विविध/2021/ 339

दिनांक 07 अप्रैल, 2021

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:- महाविद्यालय विकास समिति कोष में वृद्धि कर महाविद्यालय विकास कार्य करवाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गैर सरकारी संस्थाओं/दानदाताओं/व्यवसायियों/उद्योगपतियों/जनसहयोग/ट्रस्ट/सांसद एवं विधायक विकास कोष आदि से संपर्क कर महाविद्यालय विकास हेतु सहायता/चन्दा/धनराशि आदि अनुदान प्राप्त कर महाविद्यालय की विकास समिति कोष में वृद्धि करें।

पूर्व में महाविद्यालय में आवश्यक आधुनिक संरचना (Essential Infrastructure) हेतु 17 महत्वपूर्ण बिन्दुओं (संलग्न) का निर्धारण किया गया था तथा महाविद्यालयों को इस हेतु निर्देशित भी किया गया था। इन 17 महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये कोष में वृद्धि कर आप महाविद्यालय में विभिन्न कार्य जैसे भवन, प्रयोगशाला, कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय भवन, स्मार्ट क्लास रूम, आईसीटी लैब, सेमिनार/मिटिंग रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, स्पोर्ट्स कोर्ट/कॉम्प्लेक्स, रिकॉर्डिंग रूम व कम्प्यूटर रूम एवं चारदीवारी का निर्माण, खेल मैदान का विकास, महाविद्यालयों के भवनों एवं छात्रावासों की मरम्मत, सोलर पैनल, सीसीटीवी कैमरे, कम्प्यूटर्स, पेयजल व टॉयलेट व्यवस्था तथा अन्य निर्माण कार्य RTPP Act 2012 एवं RTPP Rule 2013 तथा वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को मध्यनजर रखते हुए करवाये जावे जिससे महाविद्यालय की आधारभूत एवं भौतिक सुविधाओं का विकास हो सके। निसंदेह आपके सार्थक प्रयत्नों से महाविद्यालय का चहुमुंखी विकास संभव हो सकेगा।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

संदेश नायक, IAS

आयुक्त कॉलेज शिक्षा

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 4(312) आयो/आकाशि/विविध/2021/ 340-41 दिनांक 07 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(आयोजना)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

322

आवश्यक आधारिक संरचना ( Essential infrastructure) हेतु निम्नलिखित 17 महत्वपूर्ण बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है:-

1. Seminar / Meeting Room (with Audio Visual Equipment installed)
2. Repairing of Electrical wiring with high surge protection
3. Smart Labs
4. Pool of essential equipment in various labs of the institution
5. Dedicated Leased line for net connectivity with Wi-Fi campus
6. ICT Lab
7. CCTV in the campus and monitoring unit in the Principal Chamber
8. Smart class room
9. Arrangement of e-learning softwares
10. Separate Girls Common Room and Toilet Facility
11. Differently abled friendly entrance and toilets
12. Refurbishing and Repairing of equipments
13. At least one outdoor sports ground
14. Adequate number of Fire Extinguishers
15. Clean RO/ Filtered Drinking water facility
16. Digitization and automation of Library
17. Painting and plastering